प्रकरण संख्या 08/2018
अनवान बाबू सिह बनाम रामकुमार वगैरा

पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 25.01.2018 द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 82/2012 अनवान बाबूसिह बनाम रामकुमार वगैरा अन्तर्गत धारा 251-ए आरटीए के निर्णय दिनांक 23.06.2017 में चक 2 डीएलपी प.न. 163/194 मु.न. 56 किला नं. 21/0.012, 22/0.012 है.रास्ता डीएलसी की दुगनी राशि पर स्वीकृत किये निर्णय को निरस्त कर प्रकरण में पुनः सुनवाई किये जाने के आदेश के क्रम में प्रार्थी बाबू सिह एवं अप्रार्थी 1 रामकुमार, अप्रार्थी संख्या 2 धन्नाराम जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रशनगत प्रकरण में चक 2 डीएलपी के प.न. 163/194 मु.न. 56 किला नं. 21 व 22 की दक्षिण दिशा में दर्ज रास्ते को उतर दिशा में दर्ज किये जाने एवं इसके बदले में प्रार्थी बाबूसिह की प.न. 163/194 को मु.न. 56 के किला नं. 18 की 0.025 है. व किला नं. 23 की 0.013 है.भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 धन्नाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का निवेदन किया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर चक 2 डीएलपी में प्रार्थी बाबु सिह के नाम दर्ज कृषि भूमि में से प.न. 163/194 मु.न. 56 किला नं. 18/0.025 है. व किला नं. 23/0.013 है.भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 धन्नाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है और इसी चक के प.न. 163/194 के मु.न. 56 के किला नम्बर 21 व 22 की दक्षिण दिशा में दर्ज रास्ता को उत्तर दिशा में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देशित किया जाता है कि यदि राज्य हित प्रभावित नही हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य हुये राजीनामा इस निर्णय के अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो। तहसीलदार राजस्व संगरिया को अलग से पालनार्थ लिखा जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29.7.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner